पत्रांक–22/अनु0–05/2012 सा0प्र0 9101/

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

भीम प्रसाद,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी विभाग,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक–25 जुलाई, 2017

विषयः– **सेवाकाल में मृत सरकारी कर्मी के विधुर पति/विधवा पत्नी की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा होने पर भविष्य में शादी नहीं करने से संबंधित शपथ–पत्र नियुक्ति के पूर्व प्राप्त करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा शिकायत की गई है कि अनुकम्पा समितियों द्वारा सेवाकाल में मृत सरकारी कर्मी की विधवा पत्नी की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी होने पर संबंधित नियुक्ति प्राधिकार द्वारा नियुक्ति के समय उनसे भविष्य में शादी नहीं करने से संबंधित शपथ–पत्र समर्पित करने की अपेक्षा की जाती है। अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया निर्धारित करने से संबंधित सामान्य प्रशासन विभाग (तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) से निर्गत परिपत्र सं0–13293 दिनांक–05.10.1991 की कंडिका–9 (छ) में निम्नांकित प्रावधान हैः–

"अनुकम्पा के आधार पर किसी विधवा की नियुक्ति होती है तो पुनः शादी होने के बाद भी वह सेवा में रहेगी, बशर्ते कि मृत सेवक के आश्रित परिवार का भरण–पोषण के दायित्व का निर्वाह सफलतापूर्वक करती है।"

2. उपर्युक्त प्रावधान से स्वतः स्पष्ट है कि किसी विधवा की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा होने पर भविष्य में शादी नहीं करने से संबंधित शपथ–पत्र नियुक्ति के पूर्व प्राप्त किये जाने की अपेक्षा नहीं है।

3. अतः समुचित विचारोपरान्त इस आशय का दिशा–निर्देश परिचारित करने का निर्णय लिया गया है कि सेवाकाल में मृत सरकारी कर्मी के विधुर पति/विधवा पत्नी की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा करने अथवा नियुक्ति हेतु अनुशंसित होने पर नियुक्ति के प्रयोजनार्थ उनसे भविष्य में शादी नहीं करने से संबंधित शपथ–पत्र प्राप्त नहीं किया जाये।

विश्वासभाजन

(भीम प्रसाद)
सरकार के उप सचिव